शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. X, No. 1, pp (107-114), Jan-March 2019

अभिशप्त बाल श्रमिकः एक विशेषण

डॉ0 मनोरमा राय,
विभागाध्यक्षा, समाजशास्त्र विभाग
धर्मेन्द्र सिंह मैमोरियल कॉलिज, अटौला, मेरठ
ई–मेल dsmcollegeatola@gmail.com

सारांश

बचपन जिन्दगी का बहुत खुबसूरत सफर होता है। बचपन में न कोई चिन्ता होती है न कोई फिक्र होती है। लेकिन कुछ बच्चों के बचपन में लाचारी और गरीबी की नजर लग जाती है। जिस कारण से उन्हें बालश्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बालश्रम भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने, दुकान, रेस्टॅरा, होटल, कोयला खदान, पटाखे के कारखाने आदि जगहों पर कार्य करवाना बालश्रम है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24वें के अन्तर्गत भारत में बाल श्रम प्रतिबन्धित है। बालश्रम प्रथा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ, मानवता के नाम पर एक कलंक तथा बच्चों के लिए अभिशाप है। पाकिस्तान में बनने वाले कालीनों का 80 प्रतिशत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे बनाते हैं। बाल और श्रम अपने आप में निरीह और निरपवाद शब्द है किन्तु जब ये दोनों मिलकर बालश्रम बन जाते हैं तो एक विकट सामाजिक बुराई का रूप ले लेते हैं। बाल मजदूर संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में पाये जाते हैं। बालश्रम उन्मूलन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास वर्ष 1986 में विस्तृत अधिनियम बनाकर किया गया जिसे बालश्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 कहा जाता है। बालश्रम से सम्बन्धित प्रमुख चुनौती देश में व्याप्त बेरोजगारी और गरीबी, नियोजकों की लोभी अथवा शोषण की बढ़ती प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त बालश्रम के लिए गरीबी, अशिक्षा और जनसंख्या में हो रही वृद्धि प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। यदि आर्थिक रूप से सम्पन्न प्रत्येक परिवार एक अनाथ या गरीब बच्चे की पढ़ाई एवं विकास की जिम्मेदारी ले ले तो हमारा देश इस समस्या को आसानी से हल कर सकता है। बच्चों के अधिकारों एवं बालश्रम के खिलाफ काम करने वाले भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

मुख्य शब्द–*बालश्रम, मासूमियत, कलंक, सामाजिक बुराई, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, उन्मूलन, शोषण, अशिक्षा, गरीबी।*

प्रस्तावना

बचपन जिन्दगी का बहुत खुबसूरत सफर होता है। बचपन में न कोई चिन्ता होती है न कोई फिक्र होती है, एक निश्चिंत जीवन का भरपूर आनन्द लेना ही बचपन होता है। लेकिन

कुछ बच्चों के बचपन में लाचारी और गरीबी की नजर लग जाती है। जिस कारण से उन्हें बालश्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम वर्तमान समय में बच्चों की मासूमियत के बीच अभिशाप बनकर सामने आता है।

बालश्रम भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने, दुकान, रेस्तरा, होटल, कोयला खदान, पटाखे के कारखाने आदि जगहों पर कार्य करवाना बालश्रम है। बालश्रम में बच्चों का शोषण भी शामिल होता है, शोषण से आशय बच्चों से ऐसे कार्य करवाना, जिनके लिए वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार न हों। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24वें के अन्तर्गत भारत में बाल श्रम प्रतिबन्धित है। बालश्रम का मुख्य कारण गरीब बच्चों के माता–पिता का लालच, असंतोष होता है। लालची माता–पिता अपने ऐशो–आराम के लिए बच्चों से मजदूरी कराते हैं जिससे बच्चे न ही स्कूल जाते हैं और न ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं।

प्रायः हर भाषा, संस्कृति और देश में कहा जाता है कि बच्चे राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं आज के बच्चों में हम आने वाले कल को देख सकते हैं, परन्तु जिस राष्ट्र के बच्चों का वर्तमान ही अन्धकार में डूबा हो और उनका स्वयं का भविष्य उजाले की तलाश में भटक रहा हो, हम उस देश के अच्छे भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। आज विश्व के अमीर या गरीब विकसित या विकासशील सभी देशों में बच्चों के नन्हें हाथों का प्रयोग धनोपार्जन के लिए किया जाता है। कोई भी राष्ट्र प्रगति की सीढ़िया कितनी तेजी से चढ़ सकता है यह इस पर निर्भर है कि उस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों में कितनी ताकत है, कितना उत्साह है और उन्हें कितना प्रोत्साहित किया जाता है? शायद इसलिए कहा जाता है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से एक कदम आगे होती है क्योंकि वह उन नीवों पर इमारत बुलन्द करती है जो उनकी पिछली पीढ़ियों ने बना रखी थीं जिस प्रकार सुबह बता देती है कि आने वाला दिन कैसा होगा उसी प्रकार बच्चों को देखकर यह अनुमान लग जाता है कि आगामी पीढ़ियाँ कैसी होंगी।

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से बाजार में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ने बाल मजदूर की संस्कृति को और भी प्रगाढ़ कर दिया है। विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देश इसकी चपेट में हैं। वस्तुतः बालश्रम मानव समुदाय के लिए कलंक और प्रत्येक राष्ट्र के लिए सामाजिक, आर्थिक बुराई के रूप में बोझ बन चुकी बालश्रम प्रथा बाल श्रमिकों को अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर कर रही है। उल्लेखनीय है कि बालश्रम का इतिहास सभ्यता के शुरूवात से ही प्रारम्भ होता है किन्तु वैश्वीकरण और औद्योगीकरण के कारण इसका रूप और भी भयावह हो गया।

बालश्रम प्रथा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ, मानवता के नाम पर एक कलंक तथा बच्चों के लिए अभिशाप है यह न केवल भारत या तिसरी दुनिया के संदर्भ में बल्कि यहाँ तक कि अमेरीका, ब्रिटेन जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में बाल श्रम की घटनाओं में लगतार वृद्धि हो रही है। कहने को तो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में बालश्रमिकों द्वारा बने हुए उत्पादों से परहेज किया जाता है लेकिन कटु सत्य यह है कि यहाँ किशोर आयु के बालक और बालिकाओं को धनोपार्जन का लालच देकर श्रमिक गतिविधियों के साथ अश्लील छायांकन

जैसे व्यवसायों में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में 215 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। 1991 की जनगणना में बाल मजदूरों के सर्वेक्षण के अनुसार 11.3 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। इसके बाद 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 12.7 मिलियन हो गयी थी।

संयुक्त राष्ट्र अर्न्तराष्ट्रीय बाल संकट कोष द्वारा वर्ष 2005 में जारी रिपोर्ट के अनुसार आज विश्वभर में 24.6 करोड़ बच्चे बालश्रमिक हैं इसमें से 15.2 करोड़ बाल श्रमिक अकेले एशिया में, 7.6 करोड़ बालश्रमिक अफ्रीका में तथा शेष 1.8 करोड़ बालश्रमिक अमेरिकी देशों में व अन्य देश में कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में बनने वाले कालीनों का 80 प्रतिशत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे बनाते हैं। इण्डोनेशिया के बहुत सारे बालश्रमिक तम्बाकू बनाते हैं। श्रीलंका के चाय की पत्ती और ब्राजील के अनेक बच्चे संतरे चुनकर अपनी जीविका चलाने को विवश हैं।

बाल और श्रम अपने आप में निरीह और निरपवाद शब्द है किन्तु जब ये दोनों मिलकर बालश्रम बन जाते हैं तो एक विकट सामाजिक बुराई का रूप ले लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ''बालश्रम किसी बालक द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य, जिसे सीधे तौर पर स्वयं बालक को या फिर उनके परिवारजनों को आर्थिक लाभ पहुँचाने के प्रयोजन से किया जाये और जिससे उनके स्वयं के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकास में बाधा पहुँचे।''

भारत द्वारा नियुक्त बालश्रम समिति के अनुसार, ''बालकों की जनसंख्या का वह भाग आता है जो या तो वैतनिक या अवैतनिक कार्यों पर नियुक्त हो।''

बाल मजदूर निम्न क्षेत्रों में अधिक रूप से पाये जाते हैं–

संगठित क्षेत्र–कालीन बुनाई, दिया–सलाई, आतिशबाजी, हथकरधा, चमड़ा, कांच, भवन निर्माण, पत्थर खदान, रत्न उद्योग, ताला उद्योग आदि।

असंगठित क्षेत्र–होटल, ढाबा, फैक्ट्री, दुकान, ऑटोवर्कशॉप, अखबार बेचना, कोयला, अभ्रक चुनना, कचरा चुनना, खेतीबाड़ी, घर में नौकर आदि का कार्य।

हाल ही में संसद में पुछे गये एक सवाल के जवाल में कहा गया कि 15 वर्ष से कम आयु वाले लगभग 1.17 करोड़ बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए लगातार दिन–रात कठिन परिश्रम करने को मबजूर हैं। सरकार का कार्य सराहनीय है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बाल मजदूरों से काम नहीं लेगा, यह अधिसूचना 31 अगस्त 2006 को की गयी किन्तु ध्यान देने की बात तो यह है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या है ही कितनी जिनके बाल मजदूरी न करवाने से बाल श्रमिकों में कमी आ जायेगी। आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में बाल श्रमिकों की संख्या 24.6 करोड़ है इसे रोकने के लिए सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने 1881 में राजकीय श्रम आयोग गठित किया था जिसमें भारतीय बाल श्रमिकों को काम पर लगाना एक अपराध न मानकर बुराई माना गया। यह लम्बे समय तक चलता रहा और 1946 में आकर अंग्रेज सरकार ने यह स्वीकार किया कि बाल श्रमिकों को उद्योग में लगाना गैरकानूनी है। बालश्रम से सम्बन्धित अधिनियम 1933 में बना। आजादी के बाद 1948 ई॰ में कारखाना

अधिनियम बना जिसमें 10 से 18 वर्ष के श्रमिकों को खतरनाक मशीनों में लगाये जाने का निषेद्य किया गया।

बाल श्रमिकों को नियोजित करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले निम्नांकित उद्योगों को श्रेणी में चिन्हित किया गया–

1. माचिस एवं पटाखा विनिर्माण उद्योग (तमिलनाडू)
2. डायमण्ड पॉलिश उद्योग, सूरत (गुजरात)
3. काँच व चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)
4. पीतल के बर्तन व कलात्मक वस्तु विनिर्माण उद्योग, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
5. हस्तनिर्मित कालीन उद्योग, मिर्जापुर, भदोही, (उत्तर प्रदेश)
6. कीमती पत्थरों व मशीनों आदि की कटिंग तथा पॉलिश उद्योग, जयपुर (राजस्थान)
7. स्लेट उद्योग, मन्दसौर (मध्य प्रदेश व मशकपुर, आन्ध्र प्रदेश)

उपर्युक्त सभी उद्योगों के मालिकों द्वारा बालश्रमिकों को बड़े पैमाने पर शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है। निःसन्देह आज भी इन खतरनाक उद्योगों में बालश्रम उन्मूलन के प्रावधान को और अधिक कठोरता के साथ क्रियान्वित करना अति आवश्यक है।

बालश्रमिकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीति

बालश्रम उन्मूलन के सम्बन्ध में वर्ष 1987 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नीति बनाई गयी जिसमें बाल श्रमिकों के लाभ के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में बालश्रम से मुक्त कराये गये बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पूरक पोषाहार जैसे अनेक कार्यक्रम संचालित किये गये इस नीति के निम्नलिखित 3 संकल्प लिये गये–

1. देश के 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।
2. सभी बच्चों को जन्म से पूर्व तथा बाद में और बढ़ती उम्र में पर्याप्त स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की व्यवस्था।
3. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नियोजित करने पर रोक।

बच्चों के अधिकारों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर 1989 को व्यक्त किये गये संकल्पों में मुख्य 3 बिन्दु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं–

1. निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।
2. बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की समुचित व्यवस्था।
3. बच्चों के आर्थिक शोषण तथा बालश्रम के विरूद्ध संरक्षण की व्यवस्था।

अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उपरोक्त संरक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा भी वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किये गये अर्थात् बच्चों के अधिकारों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित संकल्प भारत के लिए भी कानूनी रूप से मान्य है।

कानूनी प्रावधान एवं उनका क्रियान्वयन

भारत में बालश्रम की प्रथा काफी अरसे से चली आ रही है उस समय पहली बार अंग्रेजों द्वारा 1881 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मजदूरों के लिए 'राजकीय श्रम आयोग'' गठित किया गया। इसमें भारतीय उद्योगों में बालश्रमिकों के इस्तेमाल को एक बुराई के रूप में चिन्हित किया गया। 1901 में बनाये गये खदान अधिनियम में अंग्रेजी सरकार द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम में लेना गैरकानूनी घोषित किया गया इसके बाद 1922 में कारखाना एक्ट बनाया गया। शिशु श्रम से सम्बन्धित अधिनियम 1933 में पारित किया गया जिसमें बच्चों को श्रमिक के रूप में नियुक्त करने पर सजा के भी प्रावधान किये गये। संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा बालकों के क्रय–विक्रय एवं उनके द्वारा गैरकानूनी तथा अनैतिक कार्य कराने पर रोक है। इसी प्रकार अनुच्छेद–3, 39(एफ) में बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार को निर्देश है 1949 में राजकीय विभागों एवं अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के नियोजन हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी। इसमें कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रमिक अधिनियम 1951, खदान अधिनियम 1961, व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1958, मोटर परिवहन अधिनियम 1961, बीड़ी, सिगरेट सेवा शर्त अधिनियम आदि प्रमुख हैं। बालश्रम के आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1979 में ''गुरू पदस्वामी समिति'' गठित की गयी जिसके द्वारा बालश्रम की समस्या को गरीबी की देन बताया गया और प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया गया।

बालश्रम उन्मूलन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास वर्ष 1986 में विस्तृत अधिनियम बनाकर किया गया जिसे बालश्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 कहा जाता है। 1987 में राष्ट्रीय 'बाल नीति' की घोषणा भी की गयी। बालनीति के दस्तावेज में ''नीति एवं उपाय' के अनुच्छेद–4 में कहा गया है कि राष्ट्र 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उचित उपाय करेगा। अनुच्छेद–5 में व्यवस्था की गयी है कि, ''जो बच्चे विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के दूसरे तरीकों का विकास किया जाना चाहिए।'' अनुच्छेद–8 के अनुसार बेहाल सामाजिक परिस्थिति में रहने वाले अपराधी बन चुके तथा भिखारी बनने के लिए मजदूर तथा अन्य परेशानियों को झेल रहे बच्चों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण व पुर्नवास दिलाया जायेगा। इन्हें सक्षम नागरिक बनने में मद्द दी जायेगी। इसके बाद अनुच्छेद–9 व 10 में कहा गया कि बच्चों को उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से बचाने के लिए संरक्षण दिया जायेगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले खतरनाक कामों में नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गौरतलब है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए सरकार 57 उत्पादन प्रक्रियाओं तथा 15 जोखिमकारी व्यवसायों को प्रतिबन्धित कर दिया है।

केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया बच्चों के ''राष्ट्रीय चार्टर 2003'' बच्चों को संविधान में प्राप्त अधिकार को उपयोग करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा और आवश्यक देखभाल के लिए संसद द्वारा ''बालन्याय'' (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल)

अधिनियम 2000 भी संसद द्वारा पारित किया गया। जो किशोर न्यायिक अधिनियम 1986 के स्थान पर बनाया गया किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2006 भी संसद द्वारा पास कर दिया गया। ''निःशुल्क चाइल्ड लाइन फोन सेवा'' (1998) भी प्रारम्भ की गयी। इस सेवा के प्रारम्भ हो जाने से आपादग्रस्त बच्चों को आशा की एक किरण दिखाई देती है। अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी वर्ष 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर पहली बार इस समस्या की भयावहता में कमी दिखाई दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2001 के बीच विश्वभर में बाल श्रमिकों की संख्या में 11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। साथ ही 5–17 आयु वर्ग के खतरनाक कार्यों में लगे बच्चों की संख्या में भी 26 प्रतिशत की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 5–14 आयु वर्ग के बालश्रमिकों की कुल संख्या में 33 प्रतिशत की कमी रिकार्ड की गयी है।

सर्वोच्च न्यायालय एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

पिछले कुछ वर्षों में इस समस्या के निराकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अतिविशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया गया है। दिसम्बर, 1996 में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को अनुच्छेद–45 की याद दिलाते हुए कहा कि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये। इसी प्रकार दिसम्बर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु के शिवकाशी के माचिस और पटाखा उद्योगों के मामले में निर्णय देते हुए खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और बालश्रमिकों के पुनर्वास के लिए ''कल्याणकोष'' बनाने का आदेश दिया। इसके अनुसार प्रत्येक उद्योग मालिक प्रत्येक बालश्रमिक के हिसाब से 20 हजार रुपये इस कल्याण कोष में जमा करेगा। इसके अतिरिक्त कार्यमुक्त बालश्रमिक के बदले उसके परिवार के एक वयस्क को उस उद्योग से रोजगार मिल सके।

इस समय देश में 250 से अधिक गैरसरकारी संगठन बालश्रमिकों के लिए कल्याण की योजनाएँ चला रहे हैं। 10वीं योजना के अन्तर्गत बालश्रम उन्मूलन के लिए 602 करोड़ रुपये की राशि आवंटित है जो 9वीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित 250 करोड़ की राशि के दुगुने से भी अधिक अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए भारत को 2 करोड़ डालर की सहायता प्रदान की गयी है। शर्तों के मुताबिक इतनी ही धनराशि भारत सरकार द्वारा भी खर्च करने का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना 16 फरवरी 2004 से आरम्भ की जा चुकी है।

बालश्रमिकों के पुनर्वास की परियोजना लागत का 75 प्रतिशत अंश वित्तीय सहायता के रूप में केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा स्वयं सेवी संगठनों को दिये जाने की व्यवस्था रखी गयी है।

चुनौतियाँ

देश को बालश्रम के कलंक से मुक्ति दिलाने के समक्ष अनेक समस्याएँ व चुनौतियाँ हैं। बालश्रमिकों के सम्बन्ध में सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों अथवा अर्न्तराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में बहुत कुछ भिन्नता है। अतः समस्या से निराकरण की योजना बनाने से पूर्व सही–सही आंकड़े एकत्र किये जायें उसके पश्चात् कल्याण की योजनाओं का निर्माण और उनको मूर्त रूप दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

बालश्रम से सम्बन्धित दूसरी प्रमुख चुनौती देश में व्याप्त बेरोजगारी और गरीबी है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश में 36 करोड़ आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश है।

इस समस्या के लिए उत्तरदायी तीसरी प्रमुख चुनौती नियोजकों की लोभी अथवा शोषण की बढ़ती प्रवृत्ति है।

चौथी प्रमुख चुनौती समस्या के समाधान हेतु बनाये गये ''नियमों व कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाने'' से सम्बन्धित है।

इसके अतिरिक्त बालश्रम के लिए गरीबी, अशिक्षा और जनसंख्या में हो रही वृद्धि प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।

निराकरण–निराकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं–

1. बाल श्रमिको के लिये स्कूलों का निर्माण।
2. मुफ्त शिक्षा
3. विचारों में परिवर्तन
4. बाल मजदूरी करते बच्चों के परिवार वालों को इसके अंजाम से अवगत कराना।
5. अगर हमें बालश्रम से सम्बन्धित कोई मामला नजर आयें तो तुरन्त अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या (एन0जी0ओ0) के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।
6. हमें बालश्रम के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गयी टेलीफोन सेवा नम्बर 1098 डायल कर सकते हैं।

निष्कर्ष

बालश्रम प्रथा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ मानवता के नाम पर एक कलंक तथा बच्चों के लिए अभिषाप है। 11 जून 2005 को जारी किये गये रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में 24.6 करोड़ बालश्रमिक हैं। बालश्रम के लिए निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि अशिक्षा आदि उत्तरदायी है।

बालश्रम को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक अधिनियम बने। सर्वोच्च न्यायालय ने बालश्रम पर प्रतिबन्ध लगाया सरकारी तथा गैरसकारी संगठनों, संस्थाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन प्रयासों की कसौटी पर परिणाम उचित नहीं बैठते, ये नकारात्मक नहीं अपितु नग्न यथार्थ है जिसे चाहकर भी नकारना सच्चाई से मुँह चुराना ही होगा।

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी वर्ष 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्वस्तर पर पहली बार इस समस्या की भयावहता में कमी दिखाई दी है। 2000 से 2004 के बीच विश्वभर में बाल श्रमिकों की संख्या में 11 प्रतिशत की कमी आयी है फिर भी 24.6 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में भयावह की स्थिति दिग्दर्शित कर रहा है।

आज आर्थिक रूप से सम्पन्न प्रत्येक परिवार, क्लब, पार्टी और अपने अन्य शौक को पूरा करने में लाखों रूपये खर्च करते हैं परन्तु जब किसी सामाजिक समस्या के समाधान की बात

आती है तो इसे सरकार की जिम्मेदारी का रूप देकर मुँह मोड़ लेते हैं। यदि आर्थिक रूप से सम्पन्न प्रत्येक परिवार एक अनाथ या गरीब बच्चे की पढ़ाई एवं विकास की जिम्मेदारी ले ले तो हमारा देश इस समस्या को आसानी से हल कर सकता है तथा विश्व में मानवता एवं एकता की मिसाल कायम कर सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बच्चों के अधिकारों एवं बालश्रम के खिलाफ काम करने वाले भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। सच तो यह है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की सार्थकता तभी सामने आयेगी जब हम व्यवहारिक मोर्चे पर बाजी जीत सकेंगे। यद्यपि स्थिति अन्धकारमय है लेकिन आशा है कि बालश्रम से मुक्त समाज की धरती पर सुबह जरूर होगी।

संदर्भ ग्रन्थ

1. आहूजा राम, *''भारत की समसामयिक समस्याएँ''* साहित्य पब्लिकेशन 1998, पेज नं0 **121–122।**
2. कुरूक्षेत्र, *''भारत में बालश्रम : एक अनसुलझी समस्या''*, नवम्बर 2006, पेज नं0 **17–18।**
3. कुरूक्षेत्र, *''अभिशप्त बालश्रमिक'',* मार्च 2006, पेज नं. **26–27।**